



**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
**(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)**



4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,  
Hauz Khas, New Delhi-110 016

No. CWC/I-HPL Encashment/274/Rectt./08

Dated 16<sup>th</sup> May, 2014

**CIRCULAR**


**Sub: Encashment of Half Pay Leave on Superannuation**

Attention is drawn towards this office Circulars of even number (383A) dated 22.8.2008 and dated 7.1.2009 for allowing encashment of Half Pay Leave upto a maximum of 240 days (120 days with full pay and DA)/DP) at the credit of the employees in addition to the existing provision of encashment of Earned Leave on retirement after attaining the age of superannuation only.

With the approval of Board of Directors and in supersession of earlier instructions, it has now been decided that the Earned Leave and Half Pay Leave lying at the credit of the employee would be considered for encashment on retirement after attaining the age of superannuation, subject to overall limit of 300 days. The cash equivalent payable for HPL would be equal to leave salary as permissible for Half Pay + DA. It is clarified that to make up the shortfall in Earned Leave, no commutation of Half Pay Leave would be permissible.

This decision is effective from 1<sup>st</sup> May, 2014.

**Authority:** (Agenda Item No. 309.10 placed in the 309<sup>th</sup> meeting of the BOD held on 30.4.2014)

  
(Pawan Kant)  
General Manager(Pers.)

**Distribution:**

1. All Head of Divisions, CWC, CO, New Delhi
2. AGM(Estt.)/SAM(Admn)/SIO(IR), CWC, CO, New Delhi
3. All RMs/SEs/EEs – with the request that a copy of this circular may be circulated to all warehouses/units under their jurisdiction.
4. AGM(S&B), CWC, CO, New Delhi
5. PPS to MD/PA to Director (MCP)/PS to Director (Fin)/SAM to Director (Pers.), CWC, CO, New Delhi
6. GM(MIS), CWC, CO, New Delhi – for uploading the contents of CWC website.
7. Guard file
8. Circular file/Master file.



4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त कान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली -110016

सं० केभनि / I-एचपीएल नकदीकरण / 274 / भर्ती / 08

दिनांक 16.05.2014

### परिपत्र

**विषय:- अधिवर्षिता पर अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण ।**

इस कार्यालय के दिनांक 22.08.2008 एवं दिनांक 07.01.2009 के समसंख्यक परिपत्रों (383 ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें केवल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त कर्मचारियों के खाते में जमा अधिकतम 240 दिनों तक के अर्ध वेतन अवकाश के नकदीकरण (120 दिनों के पूरे वेतन तथा डीए/डीपी सहित) की अनुमति दी गई है।

निदेशक मण्डल के अनुमोदन तथा पूर्व अनुदेशों का अधिकमण करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के खाते में जमा अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि कुल योग सीमा 300 दिनों की हो। अर्धवेतन अवकाश के लिए देय नकदी अर्धवेतन + डीए के लिए अनुज्ञेय अवकाश वेतन के बराबर होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्जित अवकाश में कमी को पूरा करने के लिए अर्धवेतन अवकाश में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

यह निर्णय 01 मई, 2014 से प्रभावी है।

**प्राधिकारी:** दिनांक 30.04.2014 को आयोजित निदेशक मण्डल की 309वीं बैठक में रखी गई कार्यसूची मद सं०-309.10)

(पवन कांत)  
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

**वितरण:-**

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 2 सहायक महा प्रबन्धक (स्थापना)/ वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/ एसआईओ (आईआर) के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 3 सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता- इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी वेअरहाउसों/ईकाइयों में परिचालित की जाए।
- 4 सहायक महाप्रबन्धक (एस एण्ड बी) के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रबन्ध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/ निदेशक (एमसीपी) के निजी सहायक/ निदेशक (वित्त) के निजी सचिव/ निदेशक (कार्मिक) के वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक, के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 6 महाप्रबन्धक (एमआईएस) के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली- इस विषय वस्तु को केन्द्रीय भण्डारण निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 गार्ड फाइल।
- 8 परिपत्र फाइल/मास्टर फाइल।